

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा

मुकाम : बांसवाड़ा (राज.)

वादी  
गोविन्द वर्मा

प्रतिवादी

जाधवी वर्मा

बनाम

किस्म मुकदमा-(वाद पत्र) 188 RTA

प्रकरण संख्या- 49 / 20 20

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/12/2020	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री गोविन्द पिता स्व. श्री क.पेश जाति पटेल निवासी सागडेद तहसील व जिला बांसवाड़ा द्वारा वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण श्री जाधवी पिता स्व. श्री वालेंग जाति पटेल निवासी सागडेद, तह. व जिला बांसवाड़ा ... के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 15/01/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">b उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा</p>	
15-1-2021	<p>पत्रावली पेश। वादीगण अधिवक्ता इतिहास प्रतिवादीगण के नाम ① में ⑥ के नाम जारी सिमाना वाद तामील प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किसे गये। प्रतिवादीगण के नाम ① में ⑥ की कोर से श्री अक्षयपाल गुला इतिहास का इतिहास पत्र पेश हुआ। जवाब पेश करने लम्प-बाधा। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 27-1-2021 को पेश हो।</p>	
27-1-2021	<p>पत्रावली पेश। बकुलाम्प इतिहास पत्रावली पेश करने लम्प-बाधा। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 18-2-2021 को पेश हो।</p>	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.9.22	<p>पत्रावली पेश हुई जो की अफिलेस 2021/10/14 पत्रावली वाले जवाबद्वारा अफिलेस आगामी दिनांक 01-11-22 को अवरण्ड रूप में पेश होया है</p>	
1-11-22	<p>पत्रावली पेश की गई जो PO द्वारा अफिलेस (अफिलेस में अफिलेस पत्रावली दिनांक 2021/10/14 को पेश की है)</p>	
23/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई जो की पत्रावली व की म 34/10/22 पत्रावली वाले जवाब दिनांक 23-11-2022 को पेश की है</p>	
12/12/22	<p>पत्रावली पेश अफिलेस 2021/10/14 पत्रावली वाले जवाब - 34 - जवाब दिनांक 09.1.23 को पेश की है</p>	
09.1.23 from No instructions from judge.	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अफिलेस अफिलेस अधिवक्ता वादी ने वादी भी धार है अधिवक्ता नहीं करने हेतु No instructions plead किया गया ही अफिलेस अधिवक्ता की पत्रावली (वादी) ने पत्रावली भी ले ली है। अधिवक्ता (वादी) को को माफिलेस द्वारा अफिलेस अधिवक्ता लक्ष्मी गली फिर भी अधिवक्ता रहे। अतः पत्रावली को निरस्त किया गया। अधिवक्ता 03 है तब अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता को अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवक्ता</p>	